

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

फैक्स/ई-मेल
अत्यावश्यक

पत्रांक-प्र07 विविध-14/2013- 3982 /खाद्य,पटना/दिनांक 18.05.15

प्रेषक,

एल0 पी0 सिंह,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी ।


विषय:- जिला स्तरीय, प्रखंड स्तरीय, शहरी निकाय क्षेत्रों के वार्ड स्तरीय एवं पंचायत स्तरीय सतर्कता समितियों के बैठक के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय अधिसूचना संख्या- 08/खाद्य, दिनांक- 31.01.2014 द्वारा विषयांकित सतर्कता समितियों का गठन करते हुए उक्त अधिसूचना की कंडिका- (9) में यह प्रावधान किया गया है कि जबतक सरकार द्वारा सदस्यों का मनोनयन नहीं हो जाता है तबतक पदेन सदस्य समिति का कार्य करेंगे । लेकिन अभी तक जिला, प्रखंड शहरी निकाय क्षेत्रों के वार्ड स्तरीय एवं पंचायत स्तरीय सतर्कता समितियों के होने वाली बैठकों की सूचना अप्राप्त है ।

अतः अनुरोध है कि विषयांकित सतर्कता समितियों के गठन की सूचना के साथ-साथ उसकी होने वाली बैठकों का प्रतिवेदन शीघ्र उपलब्ध कराने की कृपा की जाय ।

विश्वासभाजन



सरकार के संयुक्त सचिव ।